एक्स. 110035/346/2021-डीआरएस
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 13 सितंबर, 2022

भारत सरकार ने थैरेपी उत्पादों के उपयोग के समसामयिक ज्ञान के परिपेक्ष्य में अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम), 2011 की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने के लिए डॉ. वी. एम. कटोच, तत्कालीन सचिव, अनुसंधान विभाग और महानिदेशक आईसीएमआर, स्वास्थ्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में कोर समिति गठित की थी। कोर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और भारत सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अन्य सिफारिशों के साथ अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम), 2015 को अपना लिया है।

2. बाद में आम जनता के स्वास्थ्य और स्वच्छता में प्रयुक्त थैरेपी उत्पादों के उपयोग के समसामयिक ज्ञान के परिपेक्ष्य में वर्तमान एनएलईएम में परिवर्धन और विलोपन द्वारा अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने के लिए दिनांक 3.7.2018 के आदेश द्वारा दवाओं संबंधी राष्ट्रीय स्थायी समिति (एसएनसीएम) गठित की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता सचिव, डीचआर/महानिदेशक आइसीएमआर ने की थी।

3. एसएनसीएम ने 10.9.2022 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस रिपोर्ट की जांच करने के बाद भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और रिपोर्ट में निहित अन्य सिफारिशों के साथ-साथ एसएनसीएम द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम), 2022 को अपना लिया है।

4. भारत सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि यह सूची तत्काल प्रभाव से प्रचालित होगी।

मनदीप भण्डारी

(डॉ. मनदीप के. भण्डारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार